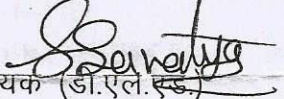


5. संबंधता प्राप्त संस्थाओं का यह भी दायित्व है कि वे म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग अथवा मा.शि.मण्डल द्वारा नियुक्त निरीक्षणकर्ताओं को पूरा सहयोग प्रदान कर विधिवत् रूप से अपनी संस्थाओं का निरीक्षण करवाये अन्यथा की स्थिति में मण्डल द्वारा संस्था को प्रदत्त संबंधता को समाप्त करने की कार्यवाही की जावेगी।

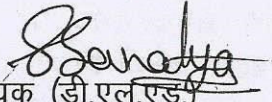

पंजीयक (डी.एल.एड.)
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल

पृ. क्रमांक / 592 / डी.एड. / 2017

भोपाल दिनांक 30/05/2017

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा गबविभाग की ओर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, बी विंग, पुस्तक भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
3. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा कार्यालय, रायसेन (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, रायसेन (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल (म.प्र.) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


पंजीयक (डी.एल.एड.)
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय : (0755) 2551650, 2761567

फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 591 / डी.एड.सेल / 2017

भोपाल, दिनांक 30/05/2017

प्रति,

संस्था कोड-65208

प्राचार्य / अध्यक्ष / सचिव

अशासकीय संस्था एस.पी. कॉलेज ऑफ एज्युकेशनल,

प्लॉट / खसरा नं.-136 / 2, स्टीट / रोड़ / ग्राम /

पोस्ट ऑफिस-गुदावल, तह. / तालुका-गोहरगंज, टाउन / सिटी रायसेन

जिला-रायसेन (म.प्र.)-464551

विषय:- डी.एड. पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु सत्र 2017-18 से मण्डल की नवीन संबद्धता बावत्।

— / — / —

एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी मान्यता आदेश क्रमांक-WRC/NCTE/APP3241/270th/D.EL.Ed/(M.P.)/2017/181606 दिनांक 08.03.2017 एवं शासन के पत्र क्र.-808/858/2016/20-2 दिनांक 19.05.2016 के अनुक्रम में आपकी संस्था द्वारा मण्डल में प्रस्तुत नवीन संबद्धता संबंधी आवेदन पत्र में प्रस्तुत जानकारी के आधार पर आपकी संस्था को डिप्लोमा इन एज्युकेशन पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु 100 विद्यार्थियों के इंटेक सहित सत्र 2017-18 से मण्डल की संबद्धता एन.सी.टी.ई. के मान्यता आदेश में उल्लेखित शर्तों के अधीन निम्न शर्तों के अंतर्गत प्रदान की जाती है :-

1. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन (सिविल) 276/12 (मॉ वैष्णव देवी महिला महाविद्यालय विरुद्ध उत्तर प्रदेश सरकार) में पारित आदेश दिनांक 13.12.2012 में संबंधित परीक्षा निकाय एवं राज्य सरकार को संबद्धता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मण्डल द्वारा संबद्धता जारी किये जाने के उपरान्त भी यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा प्रवेश हेतु विद्यार्थियों की योग्यता एवं तदसंबंधी जारी प्रवेश नियम एवं परीक्षा संचालन से संबंधित नियम, संबंधित पाठ्यक्रम पूरा किये जाने से संबंधित नियम, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समय-समय पर जारी नियमों एवं मा.शि.मण्डल द्वारा समय-समय पर जारी पाठ्यक्रम व संबद्धता संबंधी नियमों एवं निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है, तो मण्डल द्वारा प्रदत्त संस्था की संबद्धता समाप्त की जा सकेगी।

2. एन.सी.टी.ई. द्वारा संस्था को प्रदत्त मान्यता समाप्त करने की दशा में मण्डल द्वारा संस्था को प्रदत्त संबद्धता भी उसी के साथ स्वतः समाप्त मानी जावेगी तथा एन.सी.टी.ई. द्वारा मान्यता समाप्ति के उपरान्त संस्थाओं में प्रवेशित विद्यार्थियों को मण्डल की परीक्षा में शामिल नहीं कराया जावेगा।

3. मण्डल द्वारा संबद्धता प्रदान किये जाने के बाद यदि किसी भी समय मण्डल के संज्ञान में आता है कि संस्था द्वारा संबद्धता प्राप्त करने के प्रयोजन से कोई तथ्य छिपाया गया है अथवा छल पूर्वक संबद्धता प्राप्त की गई है, तो ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा संस्था को प्रदत्त की गई संबद्धता बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जावेगी।

4. एन.सी.टी.ई. द्वारा संस्था को जिस पते पर मान्यता जारी की गई है वही पता मान्य किया जायेगा। संस्था के पते में परिवर्तन उसी स्थिति में मान्य किया जायेगा जब संस्था को एन.सी.टी.ई. द्वारा विधि अनुसार पते में परिवर्तन की अनुमति दी गई हो तथा तद संबंधी सूचना मण्डल को एन.सी.टी.ई. द्वारा उपलब्ध कराई गई हो। संस्थाओं द्वारा बगैर एन.सी.टी.ई. की अनुमति के, स्वयं के स्तर से पते में परिवर्तन को मान्य नहीं किया जावेगा।